संख्या- 25/89/2000-का-4-2002

प्रेषक,

डी0एस0बगा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक:: 12 नवम्बर, 2002

विषय- उत्तर प्रदेश सेवा संघों को मान्यता । नियमावली -1979 के नियमों का अनुपालन किया जाना ।

महोदय,

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-262/का-4-16-ई0एम0/82, दिनांक 12 अप्रैल, 1983 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे, कि राज्य कर्मचारी समुदाय के केवल मान्यता प्राप्त सेवा संघों / परिसंघों / महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर ही विचार किया जाय और उन्हीं के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श एवं वार्ता हेतु आमंत्रित किया जाय ।

2. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे यह कहने का मुझे पुनः निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(डी0एस0बगा)
मुख्य सचिव

संख्या-25/89/2000(1)-का-4-2002, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र भोन्याल)
प्रमुख सचिव ।